असम विधान सभा में माननीय लोक सभा अध्यक्ष का संबोधन

——

1. लोकतंत्र के मंदिर असम विधान सभा के शीतकालीन सत्र के समापन अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है।

2. आप सभी को राज्य की 15वीं विधानसभा के लिए निर्वाचित होने पर मेरी हार्दिक बधाई, अभिनंदन और शुभकामनाएं। राज्य की जनता ने आपको बहुत अपेक्षाओं-आकांक्षाओं के साथ यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मुझे विश्वास है कि आप जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे; उनकी अपेक्षाओं-आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास करेंगे और राज्य की जनता के व्यापक कल्याण के लिए काम करेंगे।

3. असम विधान सभा अपने अस्तित्व के पिछले आठ दशकों के दौरान लोकतंत्र की सक्रिय और सतर्क प्रहरी रही है।

4. साथियो, असम को भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का द्वार कहा जाता है। असम का अर्थ ही है 'जिसके समान कोई अन्य न हो'।

5. असम का प्राकृतिक सौंदर्य, ब्रह्मपुत्र नदी की जीवन धारा, जन-जन की आस्था का प्रतीक का माता कामाख्या देवी का दिव्य मंदिर और यहाँ की सांस्कृतिक विविधता इस राज्य को वास्तव में अतुलनीय बनाता है।

6. साथियो, कल 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार है। इस अवसर पर मैं आप सबको और राज्य की समस्त जनता को बधाई देता हूँ।

7. कल ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। वे सदैव लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्थावान रहे और देश के लिए समर्पित भाव से कार्य किया। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूँ, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।

8. साथियो, आज हम अपने देश की आजादी के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इन 75 वर्षों की लोकतांत्रिक यात्रा में हमने संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

9. 75 वर्षों की इस यात्रा में हमारा लोकतंत्र निरंतर सशक्त और मजबूत हुआ है। जनप्रतिनिधियों से लोगों की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं भी बढ़ी हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता की समस्याओं के समाधान का एक मजबूत माध्यम माना जा रहा है।

10. इसलिए, आज हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम किस प्रकार शासन प्रणाली को अधिक सार्थक, सहभागितापूर्ण, पारदर्शी और समावेशी बनाएं तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाएं।

11. साथियो, आज पूरी दुनिया के अंदर लोकतंत्र और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के ऊपर व्यापक चर्चा और संवाद हो रहा है। संसदीय लोकतंत्र को पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति के रूप में मान्यता मिली है। लेकिन भारत का लोकतंत्र पुरातन है। यह हमारी हजारों वर्षों की विरासत है। लोकतंत्र हमारे विचारों में है, कार्यशैली में है। यह हमारी जीवन पद्धति है।

12. इसीलिए आजादी के समय हमारे देश के मनीषियों ने ऐसे संविधान का निर्माण किया जिसमें लोकतंत्र और समानता को मार्गदर्शी सिद्धांत बनाया गया है। लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन है। इसीलिए आज दुनिया के अधिकतम देश संसदीय लोकतंत्र की पद्धति को अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं।

13. हमारा देश विविधताओं और बहुलताओं का देश है। चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, हमारी अलग-अलग भाषा है, अलग-अलग खान-पान, रहन-सहन और अलग-अलग संस्कृति है। फिर भी हमारा देश एक है।

14. हमारा पूर्वोत्तर राज्य असम भी इसका एक सशक्त उदाहरण है, हम कह सकते हैं कि असम पूर्वोत्तर राज्यों की विविधताओं को भारत के साथ जोड़ता है। ये विविधता हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करती है।

15. हमारे संविधान में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और लोगों की संप्रभुता को केंद्र में रखा गया है। इसलिए हमारे देश और राज्यों में निष्पक्ष चुनाव प्रणाली में लोगों का विश्वास और भरोसा है। जनता द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार सत्ता का सहज हस्तांतरण हमारे प्रजातांत्रिक मूल्यों को और मजबूत करता है।

16. हम विधान मंडलों में प्रांतों के सामाजिक, आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं और उन चर्चाओं और संवाद के माध्यम से जो निर्णय होता है, उन निर्णयों के आधार पर जन-कल्याण की नीतियाँ बनाते हैं और कानून बनाते हैं।

17. हमारी विधान सभाओं को कानून बनाते समय सदन में व्यापक चर्चा करनी चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जिस जनता के लिए हम कानून बना रहे हैं, उस जनता की कानून बनाने में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, विभिन्न स्टेकहोल्डर्स की भी अधिकतम भागीदारी हो, ताकि कानून के माध्यम से कल्याणकारी नीतियां बने जिससे लोगों का अधिकतम कल्याण हो, हम लोगों को अधिक से अधिक न्याय दे सकें।

18. जनप्रतिनिधि होने के नाते विधान मंडलों के माध्यम से आपको यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में सरकार जवाबदेह, पारदर्शी और जिम्मेदार हो और लोगों की जरूरतों और अपेक्षाओं पर खरी उतरे।

19. संसदीय समितियाँ मिनी संसद के रूप में कार्य करती हैं। इसलिए, सरकार द्वारा जनता के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उसका राज्यों की जनता पर क्या सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ा, उसके लिए भी हमारी संसदीय तथा विधान मंडलों की समितियां व्यापक रूप से अध्ययन करें, परीक्षण करें और अपने रचनात्मक सुझावों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें।

20. हमारे लिए यह चिंता का विषय है कि विधायी संस्थाओं में चर्चा-संवाद में लगातार कमी आ रही है। कानून बनाने में भी व्यापक चर्चा नहीं हो रही है।

21. लोकतंत्र वाद-विवाद और संवाद पर आधारित पद्धति है। लेकिन हमारे सदनों में निरंतर चर्चा-संवाद नहीं होना, गरिमापूर्ण आचरण नहीं होना, हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। इससे हमारी संस्थाओं की गरिमा और प्रतिष्ठा में लगातार गिरावट आ रही है।

22. सदन वाद-विवाद और संवाद के लिए ही होता है। पक्ष-विपक्ष में मतभेद होना, सहमति-असहमति होना स्वाभाविक है। लोकतंत्र में यह जरूरी भी है। परंतु विरोध के बावजूद भी गतिरोध नहीं होना चाहिए।

23. सदन की कार्यवाही में बाधा डालना ना तो नैतिक रूप से उचित है, ना ही संवैधानिक रूप से। कई बार तो व्यवधान अनायास नहीं होता, बल्कि नियोजित तरीके से किया जाता है। ऐसा आचरण हमारे लिए और भी अधिक चिंता का विषय है।

24. हमें प्रयास करना चाहिए कि सभी दलों को आपसी चर्चा करके, संवाद करके, हम सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करें; सदन को चर्चा और संवाद का केन्द्र बनाएं ताकि आम आदमी ने जिन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं से हमें चुनकर भेजा है, हम उनकी अपेक्षाओं-आकांक्षाओं को पूरा कर सकें।

25. क्योंकि अगर इन संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास कम होगा, भरोसा कम होगा, तो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े हो जाते हैं। इसलिए, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता की आस्था और विश्वास को कायम रखें। इसके लिए आवश्यक है कि सदनों में व्यापक चर्चा और संवाद से जनता के कल्याण के लिए निर्णायक फैसले लिए जाएं। यही जनता के अधिकतम कल्याण का मार्ग है।

26. जब संसदीय लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ पद्धति है और इसका कोई विकल्प नहीं है, तब आजादी के 75 वर्षों के बाद यह सभी जनप्रतिनिधियों को और सभी दलों को विचार करना होगा, चिंतन-मंथन करना होगा कि लोकतान्त्रिक संस्थाओं को किस प्रकार जनता के प्रति और जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाया जाए।

27. सत्ता बदलती रहती है, अतः यह सभी दलों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे विचार करें कि हम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के ढांचे को और सशक्त और मजबूत कैसे कर सकते हैं?

28. हमारे देश और राज्य की इन लोकतांत्रिक संस्थाओं ने अपनी राजनीतिक परिपक्वता और हमारी लोकतांत्रिक प्रतिबद्धताओं के माध्यम से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसकी क्षमताओं को निर्बाध रूप से कई बार स्थापित किया है।

29. इसलिए संसदीय लोकतंत्र को आम आदमी के लिए सार्थक और उपयोगी बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम संसदीय लोकतंत्र की परंपरा और सिद्धांतों का पालन करें तथा लोकतंत्र के आधारभूत मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध रहें। अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से सामूहिक रूप से चर्चा-संवाद करके हम आम जनता की बेहतरी के लिए कार्य करें और इन संस्थाओं को जनता के प्रति और पारदर्शी, जवाबदेह और जिम्मेदार बनाएं।

30. यही रास्ता है, जिससे हम राज्य के अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को सकारात्मक संदेश दे सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी संसद को, अपने विधान मंडलों को एक आदर्श संस्था बनाने के प्रयास करने की आवश्यकता है। तभी हमारा लोकतंत्र सफल होगा और सार्थक होगा।

31. आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

धन्यवाद। जय हिन्द।